Sanjay Kumar Singh, IAS
Secretary, Health
-cum-
Executive Director

गौरवपूर्ण 100 वर्ष

संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०
सचिव, स्वास्थ्य
-सह-
कार्यपालक निदेशक

संचिका संख्या :– SHSB/G.A./548/2011/Part-III

आदेश संख्या :–   पटना, दिनांक :– ....

आदेश

राज्य में आशा कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण मॉड्यूल 5, 6 एवं 7 का प्रशिक्षण देने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों का चयन खुली निविदा के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर किया गया तथा इस कार्य हेतु गैर सरकारी संस्था शांतिदूत, कागजी मोहल्ला, पुरानी जेल रोड, बिहार शरीफ, नालंदा का भी चयन प्राप्त निविदा के आधार पर करते हुए इस सोसाईटी को दो जिले यथा– नालंदा तथा मधुबनी जिले का फूलपरास तथा झंझापुर अनुमंडल के कुल चयनित आशाओं के माड्यूल, 5, 6 और 7 का प्रशिक्षण देने का दायित्व सौंपा गया । दिये गये आदेश के आलोक में गैर सरकारी संस्था शांतिदूत के साथ 31 जनवरी, 2012 को त्रिपक्षीय समझौता (Tripartite Agreement) पत्र राज्य स्वास्थ्य समिति, एजेंसी तथा संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के बीच हस्ताक्षरित किया गया ।

हस्ताक्षरित अनुबंध की कंडिका 5 एजेन्सी के कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का निर्धारण करता है, जिसके अनुसार एजेंसी को जिला स्वास्थ्य समिति तथा आशा रिर्सोस सेन्टर के सहयोग से गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण के लिये ट्रेनिंग कैलेण्डर तैयार करने का प्रावधान है। अनुबंध की कंडिका 5.2 के अनुसार ऐजन्सी को प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के चार सप्ताह पूर्व जिला स्वास्थ्य समिति तथा आशा रिर्सोस सेन्टर से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली आशाओं तथा आशा फैसलीटेटरों की सूची प्राप्त किये जाने का प्रावधान है । कंडिका 5.5 के अनुसार गुणवत्तायुक्त आवासीय प्रशिक्षण के लिये आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार अनुबंध की कंडिका 5.7 में वित्तीय तथा भौतिक प्रतिवेदन को ससमय समर्पित किये जाने का प्रावधान है तथा कंडिका 8 में प्रशिक्षण हेतु निर्धारित वित्तीय एवं अन्य मापदण्डों को पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में अनुबंध को समाप्त किये जाने का प्रावधान किया गया है । अनुबंध की कंडिका 9.2 में प्रशिक्षण के किसी भी भाग को Petty Contract पर किया जाना प्रतिबंधित किया गया है।

आशा प्रशिक्षण मॉड्यूल 5, 6 एवं 7 के प्रशिक्षण के दौरान नालन्दा जिला के ट्रेनिंग सेन्टरस् का कई पदाधिकारियों के द्वारा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण किया गया तथा एजेंसी के विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पणी अंकित की गयी । दिनांक 31.10.2012 को जिला डाटा सहायक तथा जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, नालन्दा के द्वारा प्रशिक्षण स्थल का भ्रमण किया गया तथा अपने ज्ञापांक 293, दिनांक 31.10.2012 के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया । इस प्रतिवेदन में उनके द्वारा यह अंकित किया गया था कि प्रशिक्षण के समय आशाओं के द्वारा उन्हें यह बताया गया कि भोजन की गुणवत्ता अत्यन्त ही निम्न स्तर की थी ।

पुनः दिनांक 29.11.2012 को जिला डाटा सहायक, जिला एपिडेमियोलाजिस्ट तथा अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा प्रशिक्षण स्थल का निरीक्षण किया गया तथा अपने ज्ञापांक 450 दिनांक 30.11.2012 के द्वारा अपना प्रतिवेदन समर्पित किया गया । इस प्रतिवेदन में उनके द्वारा यह अंकित किया गया था कि प्रशिक्षण स्थल पर 30+2 (आशा एवं आशा फैसलिटेटर) के बैच में 3 प्रशिक्षक के जगह पर मात्र दो ही प्रशिक्षक से प्रशिक्षण कार्य कराया जा रहा था, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव परिलक्षित हो रहा था ।

Sd/- 12/02/14

दिनांक 30.11.2012 को जिला डाटा सहायक तथा जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी के द्वारा प्रशिक्षण स्थल का भ्रमण किया गया तथा अपने ज्ञापांक 375, दिनांक 01.12.2012 के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया । इस प्रतिवेदन में आशा प्रशिक्षण दल के द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता निम्न स्तर का प्रतिवेदित किया गया ।

दिनांक 03.11.2012 को जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी तथा असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा प्रशिक्षण स्थल का भ्रमण किया गया तथा ज्ञापांक 304, दिनांक 08.07.2013 के द्वारा अपना प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें यह अंकित किया गया था कि प्रशिक्षण स्थल के रसोई घर में बजली की उपयुक्त व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण खाना बनाने में प्रतिकूल प्रभाव परिलक्षित हो रहा था ।

पुनः दिनांक 08.07.2013 को जिला डाटा सहायक, नालन्दा के द्वारा प्रशिक्षण स्थल का भ्रमण किया गया तथा अपने ज्ञापांक 828, दिनांक 09.07.2013 के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया । इस प्रतिवेदन में यह अंकित किया गया था कि रसोई घर में साफ–सफाई का अत्यन्त ही अभाव था तथा भोजन की गुणवत्ता अत्यन्त ही निम्न कोटि की पाई गयी ।

दिनांक 10.07.2013 को जिला डाटा सहायक तथा जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, नालन्दा के द्वारा प्रशिक्षण स्थल का निरीक्षण किया गया तथा अपने ज्ञापांक 307, दिनांक 10.07.2013 के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया । इस प्रतिवेदन में आशा प्रशिक्षण स्थल पर प्रशिक्षणार्थियों को दिये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता निम्न स्तर का होना बताया गया था । साथ ही निरीक्षण में आशाओं के पास प्रशिक्षण सामग्री पर्याप्त संख्या में नहीं पायी गयी तथा यह पाया गया कि कुछ आशाओं को प्रशिक्षण के लिए आवश्यक बुकलेट भी एजेंसी के द्वारा नहीं उपलब्ध कराया गया था ।

उपर्युक्त अंकित प्रतिवेदनों के आधार पर अनुबंध की विभिन्न कंडिकाओं की अवहेलना करने के आरोप में सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, नालंदा के द्वारा अपने पत्र संख्या 1738, दिनांक 07.11.2012, पत्र संख्या 1906, दिनांक 19.12.2012 तथा पत्र संख्या 848, दिनांक 17.07.2013 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी ।

सिविल सर्जन से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्र संख्या 4461, दिनांक 29.05.2013 के द्वारा गैर सरकारी संस्था मेसर्स शांतिदूत को आशा प्रशिक्षण में कमियों में सुधार लाते हुए गुणवतापूर्ण प्रशिक्षण चलाये जाने के संबंध में पत्र भेजा गया । परन्तु दिये गये निदेश के आलोक में एजेंसी के द्वारा कोई यथोचित कार्रवाई नहीं की गयी, जो उनके गैर–जिम्मेदाराना व्यवहार को प्रदर्शित करता है । अनुबंध की कंडिका 5 के अनुसार जिला स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों को आवंटित जिले के अनुसार एक प्रशिक्षण कैलेंडर बनाना था । तत्पश्चात संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति एवं आशा संसाधन केन्द्र के साथ समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण की शुरुआत करनी थी, लेकिन एजेंसी के द्वारा ऐसा नहीं कर अनुबंध की कंडिका 5 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया ।

सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सचिव, नालंदा के पत्र संख्या 420, दिनांक 05.04.2013 के द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति को यह सूचित किया गया कि प्रशिक्षणार्थियों तथा आशा फैसलीटेटर के TA/DA का भुगतान प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात भी एजेंसी के द्वारा नहीं किया गया है ।

अनुबंध की कंडिका 5.7 के अनुसार मासिक वित्तीय एवं विस्तृत प्रगति प्रतिवेदन जिला स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान को आशा संसाधन केन्द्र को समर्पित करना था, ताकि अग्रिम का भुगतान ससमय किया जा सके। लेकिन एजेंसी मेसर्स शांतिदूत के द्वारा इसकी अवहेलना की गयी तथा उनके द्वारा भ्रमित करने वाला एवं असंतोषजनक प्रतिवेदन जिला स्वास्थ्य सचिव को समर्पित किया गया ।

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, नालंदा के ज्ञापांक 1503, दिनांक 07.10.2013 के द्वारा गैर सरकारी संस्थान, मेसर्स शांतिदूत को आशा कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण पर व्यय की गयी राशि की जाँच हेतु अभिश्रव एवं अभिलेख के साथ उपस्थित नहीं होने के संबंध में पत्र निर्गत कर 48 घंटे के अन्दर अपना स्पष्टीकरण एवं अभिश्रवों को समर्पित करने का निदेश दिया गया। एजेंसी के द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में प्रत्युत्तर तो समर्पित किया गया, लेकिन यह प्रत्युत्तर जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा अत्यन्त ही असंतोषप्रद पाया गया ।

गैर सरकारी संस्थान, मेसर्स शांतिदूत के विरूद्ध लगातार शिकायत प्राप्त होने के कारण राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्र संख्या 3349, दिनांक 05.04.2013 के द्वारा नालन्दा जिले के लिए नामित नोडल पदाधिकारी, डॉ आविद हुसैन, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य निदेशालय, बिहार, पटना को प्राप्त सभी प्रतिवेदनों की जॉच कर जॉच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया । प्रशिक्षण स्थल का भ्रमण करने के पश्चात डॉ आविद हुसैन, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के द्वारा अपने पत्र संख्या 20/सं0नि0को0, दिनांक 14.05.2013 के द्वारा अपना जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच पदाधिकारी के द्वारा जाँच के क्रम में प्रशिक्षण स्थल पर आशाओं का बयान दर्ज किया गया । उपस्थित सभी आशाओं के द्वारा एक स्वर में यह कहा गया कि एजेंसी के द्वारा उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा खाना निम्न स्तर का है । जाँच पदाधिकारी के द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया कि जिस कमरें में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उसी कमरे में उनके सोने की व्यवस्था की गयी है । साथ ही विद्युत आपूर्त्ति की व्यवस्था भी खराब पायी गयी । खाना की व्यवस्था के संबंध में जॉच पदाधिकारी के द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि एजेंसी के द्वारा इसे आउटसोर्स करते हुए पेटी कान्टैक्टर को दे दिया गया है, जिसके कारण भोजन की गुणवत्ता में अत्याधिक कमी पायी गयी । जाँच पदाधिकारी के द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को भुगतान किया गया चेक बाउन्स होने तथा 90/– रूपया काटकर भुगतान किया जाना प्रतिवेदित किया गया । इस प्रकार एजेंसी के द्वारा अनुबंध की कंडिका 9.2 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया ।

जिला स्वास्थ्य समिति, नालंदा के द्वारा प्रगति प्रतिवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि DHS, नालन्दा के द्वारा दिनांक 13.11.2013 को चेक संख्या 028144 के माध्यम से कुल मो0 4,85,485/– रूपये एजेंसी के खाता संख्या–0380000110126893, पंजाब नेशनल बैंक, पटना में RTGS के माध्यम से राशि हस्तानांतरित की जा चुकी थी । जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा दूरभाष के माध्यम से गैर सरकारी संस्थान, मेसर्स शांतिदूत के प्रतिनिधि से संपर्क स्थापित कर इसकी सूचना दी गई तथा प्रशिक्षण कैलेण्डर समर्पित करने के साथ–साथ प्रशिक्षण को संचालित करने का अनुरोध किया गया । लेकिन राशि हस्तानांतरित किये जाने के बावजूद भी इस संस्था के द्वारा प्रशिक्षण को प्रारम्भ करने की दिशा में कोई समुचित कार्रवाई नहीं की गयी ।

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR
Parivar Kalyan Bhawan, Patna 800014, Tele:0612-2281545,2290340, Fax: 0612-2290322
Email: ed@statehealthsocietybihar.org, ed_shsbihar@yahoo.co.in, Web site- www.statehealthsocietybihar.org

एजेंसी के द्वारा अपना एकाउंट पटना में रखे जाने के कारण नालंदा से प्रशिक्षणार्थियों को भुगतान की समुचित व्यवस्था नहीं स्थापित की जा सकी । जाँच पदाधिकारी के द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में यह अंकित किया गया कि एजेंसी शांतिदूत के द्वारा अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरती गयी, जिसके कारण प्रशिक्षण में कई प्रकार की त्रुटियां उत्पन्न हुई । जाँच पदाधिकारी के द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया कि जिला स्वास्थ्य समिति के साथ एजेंसी के द्वारा समन्वय नहीं स्थापित किया गया, जिसके कारण कई त्रुटियों का ससमय निराकरण नहीं हो सका।

एजेंसी का कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने के कारण सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, नालन्दा के द्वारा अपने पत्र संख्या 554, दिनांक 30.04.2013, ज्ञापांक 591, दिनांक 13.05.2013 तथा ज्ञापांक 1691, दिनांक 04.12.2013 के द्वारा एजेंसी का कार्यकलाप असंतोषप्रद पाये जाने के कारण जिले में आशा प्रशिक्षण से संबंधित शेष कार्य को किसी अन्य एजेंसी से कराये जाने की अनुशंसा की गयी ।

इसी प्रकार सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी के ज्ञापांक 1997, दिनांक 27.12.2013 के द्वारा एजेंसी मेसर्स शांतिदूत के बारे में यह बताया गया कि प्रशिक्षण हेतु एजेंसी को राशि निर्गत कर चेक तैयार कर दिया गया है तथा बार–बार दूरभाष पर सूचना दिये जाने के पश्चात भी उनके द्वारा चेक प्राप्त नहीं किया जा सका है । इससे यह स्पष्ट होता है कि एजेंसी का प्रशिक्षण कराने में कोई अभिरूची नहीं है, जो अनुबंध की शर्त्तों का स्पष्ट उल्लंघन है ।

उपर्युक्त अंकित सभी आरोपों के आलोक में राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्र संख्या 86 दिनांक 08.01.2014 के द्वारा एजेंसी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में एजेन्सी के द्वारा अपने पत्र संख्या–SD/Pat/org./019/Coress/2014/06, दिनांक 13.01.2014 के द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

राज्य स्वास्थ्य समिति के स्तर पर एजेंसी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी तथा यह पाया गया कि एजेंसी के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण विषयांतर करनेवाला तथा असंतोषप्रद है । समर्पित स्पष्टीकरण में एजेंसी के द्वारा भोजन की गुणवत्ता तथा भोजन की व्यवस्था को आउटसोर्स किये जाने के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया। प्रशिक्षणार्थियों को ससमय TA/DA भुगतान किये जाने के बिंदु पर भी एजेन्सी के द्वारा संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जा सका। एजेंसी का स्पष्टीकरण असंतोषप्रद पाये जाने के कारण राज्य स्वास्थ्य समिति के स्तर से उसे अस्वीकृत कर दिया गया ।

उपयुक्र्त तथ्यों के आलोक में एजेन्सी मेसर्स शांतिदूत, कागजी मोहल्ला, पुरानी जेल रोड, बिहार शरीफ, नालंदा, पिन–803101 (बिहार) के साथ किये गये त्रिपक्षीय एकरारनामा की कंडिका 5, 5.2, 5.5, 5.6, 5.7 तथा 5.8 का उल्लंघन करने के लिए इनके साथ किये गये अनुबंध को रद्द किया जाता है तथा एजेंसी को तत्कालीक प्रभाव से अगले 5 वर्षों के लिए काली सूची में दर्ज किया जाता है । साथ ही अनुबंध की विभिन्न कंडिकाओं का स्पष्ट उल्लंघन करने के आरोप में उन्हें बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग, राज्य स्वास्थ्य समिति, विभिन्न जिला स्वास्थ्य समितियों, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों तथा राज्य सरकार के अन्य संस्थानों के द्वारा आमंत्रित किसी भी निविदा में भाग लेने पर रोग लगायी जाती है ।

Sd/- 12/02/14

Parivar Kalyan Bhawan, Patna 800014, Tele:0612-2281545,2290340, Fax: 0612-2290322
Email: ed@statehealthsocietybihar.org, ed_shsbihar@yahoo.co.in, Web site- www.statehealthsocietybihar.org

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, नालन्दा तथा मधुबनी को निदेश दिया जाता है कि वे एजेंसी के द्वारा जमा किये गये बैंक गारंटी को जब्त कर लें तथा दिये गये अग्रिम का समायोजन जब्त की गयी बैंक गारंटी से करना सुनिश्चित करें। अगर दिये गये अग्रीम तथा बैंक गारंटी की राशि में भिन्नता होती है तो दिये गये अग्रीम की वसूली के लिए नियमानुकूल अपराधिक मामला तथा निलामी पत्र वाद दायर करते हुए अग्रीम की वसूली करना सुनिश्चित करें । इस आदेश को सर्वसाधारण की सूचना हेतु समाचार–पत्रों में भी विज्ञापन के माध्यम से प्रकाशित कराया जाए ।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)

ज्ञापांक : 1293 **पटना, दिनांक : 12.2.14**

प्रतिलिपि :–

- विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, रा0स्वा0स0, बिहार को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी प्रधान सचिव/सचिव, बिहार सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक/जिला कार्यक्रम प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रशासी पदाधिकारी/अपर निदेशक/वरीय उपसमाहर्ता/उप निदेशक/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार, रा0स्वा0स0, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- टीम लीडर, आशा रिसोर्स सेन्टर, रा0स्वा0स0, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- श्री अरविन्द कुमार, सिस्टम एनालिस्ट–कम–डाटा ऑफिसर, रा0स्वा0स0, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे आदेश की प्रति राज्य स्वास्थ्य समिति के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ।
- मेसर्स शांतिदूत, कागजी मोहल्ला, पुरानी जेल रोड, बिहार शरीफ, नालंदा, पिन–803101 (बिहार) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

sd/- 12/02/14

सचिव, स्वास्थ्य–सह–
कार्यपालक निदेशक